

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

निःशक्तजनों के सर्वेक्षण एवं ऑनलाईन पंजीयन योजनान्तर्गत डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य हेतु राशि ₹ 692.65 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,92,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 से 3

वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना अंतर्गत सेगमेंट कोड-0801 (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना) के स्थान पर-0701 (केन्द्र प्रवर्तित योजना) में परिवर्तित किए जाने हेतु राशि ₹ 200/- का प्रतीक प्रावधान किया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 5

नशाबंदी कार्यक्रम अंतर्गत सेगमेंट कोड-0801 (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना) के स्थान पर 0701 (केन्द्र प्रवर्तित योजना) में परिवर्तित किए जाने हेतु राशि ₹ 200/- का प्रतीक प्रावधान किया गया है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।